लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 265
दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बलरामपुरम हथकरघा

265. डॉ. शशि थरूरः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल के सर्वाधिक प्रसिद्ध हथकरघा में से एक बलरामपुरम हथकरघा की स्थिति ठीक न होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल के वस्त्र उद्योग के पुनरुद्धार के लिए किसी नीतिगत प्रतिक्रिया की योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की बलरामपुरम हथकरघा क्षेत्र की स्थिति ठीक न होने से प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): हथकरघा क्षेत्र के विकास, उसे बढावा देने और उसके पुनरुद्धार तथा हथकरघा बुनकरों/कामगारो का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु उन्हें शुरू से आखिर तक सहायता प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय बलरामपुरम और केरल सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण, सोलर लाइटिंग यूनिट्स की खरीद, वर्कशेड के निर्माण, उत्पाद एवं डिजाइन विकास, तकनीकी तथा सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के लिए मार्केटिंग सहायता, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण एवं सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत, मंत्रालय लाभार्थियों के दरवाजे तक यार्न की ढुलाई के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान करता है तथा कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी और लिनन यार्न तथा प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी भी प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): बलरामपुरम हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत बलरामपुरम में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:

(i) बलरामपुरम साड़ियां और फाइन कॉटन फैब्रिक्स को भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए, शून्य दोष और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बलरामपुरम साड़ी और बलरामपुरम धोती को इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी) के तहत पंजीकृत किया गया है।

(ii) वर्ष 2021-22 से 2024-25 (30.01.2025 तक) के दौरान बलरामपुरम के हथकरघा बुनकरों को मिल गेट मूल्य पर 82.5 हजार किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई।

(iii) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड बलरामपुरम में यार्न वेयरहाउस भी संचालित कर रहा है।

*****